छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 317/2006</u>

श्री गोविन्द राम वर्मा,
मोतीपुर, चौकी पारा, वार्ड नं. 6,
कृपासिन्धु आश्रम,
राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी,
विशेष सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व विभाग,
मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. जन सूचना अधिकारी,
संचालक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थीगण

:: आदेश ::
(दिनांक 24 अक्टूबर 2006)

अपीलार्थी श्री गोविन्द राम वर्मा के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील आयोग के समक्ष प्रस्तुत की।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री गोविन्द राम वर्मा के द्वारा सूचना अधिकारी, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री के समक्ष आवेदन पत्र दिनांक 21–11–2005 के द्वारा श्री महेन्द्र कुमार बैदे, जुनियर बाइन्डर द्वारा ऐच्छिक सेवानिवृत्ति मांगे जाने के संबंध में जानकारी चाही गई थी। जन सूचना अधिकारी, संयुक्त संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री के द्वारा अपीलार्थी को पत्र दिनांक 20–01–2006 के द्वारा सूचित किया गया कि उसका आवेदन पत्र अधिनियम की धारा–8(जे) के अंतर्गत मांगी गई सूचना जनहित में न होने से दी जाना संभव नहीं है। अपीलार्थी ने इसके विरूद्ध प्रथम अपील दिनांक 22–05–2006 को प्रस्तुत की। प्रथम अपील में काई निर्णय न होने के फलस्वरूप अपीलार्थी के द्वारा आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

3/ आयोग के द्वारा प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री को नोटिस जारी किया गया। आयोग के द्वारा दोनों पक्षों के विद्वान

अभिभाषकों के द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया तथा प्रस्तुत जवाब का भी अवलोकन किया गया। प्रतिअपीलार्थी का तर्क है कि अपीलार्थी ने निर्धारित अवधि के अंदर प्रथम अपील प्रस्तुत नहीं की थी। अतः उसे द्वितीय अपील प्रस्तुत करने का भी अधिकार नहीं है। अपीलार्थी ने बतलाया कि नान–ज्युडिशियल स्टॉम्प उपलब्ध न होने के कारण प्रस्तुत अपील में पूर्व में निर्धारित शुल्क का नान–ज्युडिशियल स्टॉम्प के रुप में नहीं लगाये गये थे, जो बाद में लगा दिये गये। न्यायहित में अपीलार्थी का यह तर्क स्वीकार किया जाता है तथा उसके द्वारा प्रस्तुत अपील समयावधि में मान्य की जाती है। प्रतिअपीलार्थी का यह भी तर्क है कि मांगी गई सूचना तृतीय पक्ष का होने के फलस्वरूप अभिप्रकरण जन सूचना अधिकारी के पास विवेकाधीन है। अतः द्वितीय अपील में विचार नहीं किया जा सकता। सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर निर्णय लेना है। तृतीय पक्ष होने के फलस्वरूप निर्धारित समयावधि में वृद्धि करने का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि जन सूचना अधिकारी के द्वारा 30 दिन के अंदर निर्णय नहीं दिया गया तो अपीलार्थी को अपील करने का अधिकार है।

4/ प्रकरण में प्रमुख बिन्दु यह है कि तृतीय पक्ष से संबंधित जानकारी जनहित में अपीलार्थी को दी जा सकती है अथवा नहीं ? अपीलार्थी के द्वारा कार्यालय में ही कार्यरत महेन्द्र कुमार बैदे, जुनियर बाइन्डर के ऐच्छिक सेवानिवृत्ति को अमान्य करने के संबंध में की गई कार्यवाही की छायाप्रति मांगी गई थी। अधिनियम की धारा–4(बी) के अंतर्गत लोक प्राधिकारी का यह दायित्व है कि वह अपने संगठन से संबंधित प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी से संबंधित जानकारी का अभिलेख तैयार करेगा। अपीलार्थी ने जो जानकारी चाही तृतीय पक्ष श्री महेन्द्र कुमार बैदे के द्वारा सहमति दी गई यह भी उल्लेख किया गया। मांगी गई जानकारी इस प्रकार की नहीं है कि जिसके लिए लोकहित में जानकारी दिया जाना अस्वीकार किया जा सके। किसी कर्मचारी के द्वारा ऐच्छिक सेवानिवृत्ति को मान्य अथवा अमान्य करने का अधिकार संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी को है। किन्तु इसकी जानकारी दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। संबंधित कर्मचारी ने भी अपनी सहमति व्यक्त की है। अतः आदेश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को उक्त जानकारी प्रदान की जावे। प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी के द्वारा वांछित जानकारी का अभिलेख शुल्क 15 दिन के अंदर अपीलार्थी को सूचित करे तथा अभिलेख शुल्क जमा करने के पश्चात् 15 दिन के अंदर उक्त जानकारी अपीलार्थी को प्रदान की जावे।

5/ प्रकरण में यह सिद्ध नहीं होता है कि प्रतिअपीलार्थी ने जानबूझकर अथवा द्वेषवश जानकारी दिये जाने से इंकार किया है। अतः प्रतिअपीलार्थी के विरूद्ध अर्थदण्ड आरोपित करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

6/ अपीलार्थी की अपील उपरोक्त निर्देशों के साथ स्वीकार की जाती है।

हस्ता0/– 24–10–2006
(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त